

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिलाकलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

विविध रसद प्रकरण सं. 05/2025

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन
निरीक्षक, बालोतरा।

श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री मो. सफी निवासी
मूंगड़ा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक: 01.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 04.12.2024 को श्री रामावतार पुनिया व रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स न्यू के जी एन चिकन कार्नर बालोतरा पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री मोहम्मद रफीक उपस्थित मिले। मौके पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर व्यावसायिक दुरुपयोग करना वक्त जांच पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	041907	INDANE	15.700 किग्रा	15.700 किग्रा	0 किग्रा
2.	773005	INDANE	25 किग्रा	15.400 किग्रा	9.600किग्रा

2. मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यावसायिक दुरुपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्त शुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स चौधरी एचपी गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री विजय गौड़ को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया।


जिला कलक्टर
बालोतरा

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सांवलराम मेघवाल ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जब किये गए घरेलु सिलेण्डर दुकान के बाहर पड़े थे एवं खाली थे, जो घर से भरवाने के लिए लाए गए थे। अतः प्रार्थी द्वारा जब किए गए उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी को वापस दिलाने का आदेश फरमावे।
5. हमने उभयपक्ष पक्षकारान की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये हैं, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स चौधरी एचपी गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री विजय गौड़ को सुपुर्दगी पर दिये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्राक्धानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।
6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7 के 1(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रवीकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।
7. आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

शालोतरा

(सुधीन नोममा मानव)
जिला कलक्टर
बालोतरा